

झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)  
रॉची

इच्छा की अभियुक्ति संख्या (EoI):39/JREDA/Biogas/2016-17  
For Empanelment of Agencies for Construction of Biogas Plants

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : निदेशक, ज्रेडा, रॉची।
2. **EoI** प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं स्थान: दिनांक 23.12.2016 ज्रेडा, तृतीय तल, एस०एल०डी०सी० भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉची अथवा [www.jreda.com](http://www.jreda.com) से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. **EoI** जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: दिनांक 23.12.2016 के अपराह्न 3.00 बजे तक।
4. **EoI** खोलने की तिथि, समय एवं स्थान: दिनांक 23.12.2016 के अपराह्न 3.30 बजे (ज्रेडा, तृतीय तल, एस०एल०डी०सी० भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉची)
5. **Pre-bid meeting-** 06.12.2016 (मंगलवार) को 12:00 बजे अपराह्न।
6. कार्यों की विस्तृत विवरणी:

क्रमांक	कार्य का नाम	बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु लक्ष्य	<b>EoI</b> की राशि (Non-refundable) (₹० में)	अग्रधन—सह—प्रतिभूति राशि (Refundable) (₹० में)	अभियुक्ति
1	वित्तीय वर्ष 2016–17 में झारखण्ड राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में (2–6 घनमीटर क्षमता या 6 घनमीटर क्षमता से अधिक) दीनबंधु माडल बायोगैस संयंत्र के निर्माण कार्य।	200 अद्द	1000.00	5000.00	

ह० / –

निदेशक

सुरेन्द्र प्रसाद  
बिं का० अभियंता  
ज्रेडा

## इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या (EoI) :39/JREDA/Biogas/2016-17

### **Empanelment with JREDA for Construction of Biogas Plant during 2016-17**

**कार्य का नामः—** वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र (2–6 घनमीटर क्षमता या 6 घनमीटर क्षमता से अधिक) निर्माण कार्य ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी में बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एनोजीओ०/ सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्थाओं से बन्द लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। (भाग–1, तकनीकी)।

**उद्देश्यः** झारखण्ड के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर आधारित अथवा शौचालय के मल आधारित बायोगैस संयंत्र निर्माण कर अक्षय ऊर्जा के व्यापक प्रचार–प्रसार कर आम जनता को इसके उपयोग हेतु जागरूक करना ताकि अक्षय ऊर्जा का उपयोग वृहद रूप से किया जा सके तथा पर्यावरण को प्रदूषणरहित बनाया जा सके।

**कार्य विवरणः—** ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (जेडा) द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/एनोजीओ०/सहकारी समितियों/कम्पनी/अन्य संस्थाओं के माध्यम से झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग हेतु संस्थाओं का चयन करते हुए पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है।

#### **I. संवेदक से यह अपेक्षा है कि—**

- वह स्वयं लाभुकों को चिह्नित करेंगे एवं इस क्रम में निर्माण कार्य करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी के पास कम से कम 5 (पाँच) या पर्याप्त मात्रा में वयस्क मवेशी हो तथा लाभार्थी अंशदान की राशि व्यय करने में सक्षम हो साथ ही संयंत्र में प्रतिदिन गोबर एवं पानी का मिश्रण भरने को तैयार हो। शौचालय से जुड़े हुए बायोगैस प्लांट पर ₹ 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा। लाभुक को चिह्नित करने के पश्चात् संवेदक द्वारा जेडा को इससे संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने पर जेडा से अनुमोदन पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा। इस क्रम में संवेदक चिह्नित लाभुक का प्रोत्साहित, प्रशिक्षित



सुरेन्द्र प्रसाद  
वै० का० अभियंता  
जेडा

भी करेंगे एवं लाभुक अंशदान एवं ज्ञेडा अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी लाभुक को देंगे।

2. ज्ञेडा के द्वारा बायोगैस संयंत्र निर्माण के उपरान्त अनुदान भुगतान का प्रावधान निम्नवत् हैः—

Sl. No.	Type/Capacity	Estimated Cost (in Rs.)	Central Share (in Rs.)	State Share (in Rs.)	Beneficiary Share (in Rs.)	Proposed qty.	Proposed M <sup>3</sup>
1	2 M <sup>3</sup>	20000/-	9000/-	1000/-	10000/-	25	50
2	4 M <sup>3</sup>	36000/-	9000/-	11000/-	16000/-	120	480
3	6 M <sup>3</sup>	48000/-	9000/-	21000/-	18000/-	55	330

- (i) प्रत्येक प्लांट को 5 वर्ष के रख-रखाव हेतु रु 1500/- की राशि प्रति प्लांट देय होगी। शौचालय आधारित प्रत्येक बायोगैस प्लांट हेतु रु 1000/- प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान देय होगा।
- (ii) अनुदान की राशि का भुगतान, संयंत्र से गैस निकलने, लाभार्थी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने, के साथ साथ अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु आवेदन पत्र, जिसमें उल्लेखित हो कि अनुदान की राशि संस्था को देने हेतु प्राधिकृत करता हूँ एवं लाभार्थी द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा कि संयंत्र में सभी उपकरण लगे हुए हैं, संयंत्र से गैस प्राप्त हो रहा है, लाभार्थी प्रमाण पत्र में उपकरणों की सूची दर्ज हो तथा ज्ञेडा प्रतिनिधि द्वारा शत-प्रतिशत संयंत्रों का भौतिक सत्यापन/जॉच के पश्चात् संवेदक/लाभुक को अनुदान देय होगा।
3. संयंत्र के उपरी भाग पर “(क) ज्ञेडा द्वारा देय अनुदान से निर्मित, (ख) निर्माण का वित्तीय वर्ष, (ग) लाभुक का नाम एवं (घ) निर्माणकर्ता का नाम” अंकित करना अनिवार्य है।
4. संयंत्र के निर्माण में व्यय की गई राशि का विवरण तथा ड्राइंग (अवयव वार मापी सहित ) विपत्र के साथ संलग्न करना है।
5. प्रत्येक संयंत्र का दो डिजिटल फोटो (सी०डी०/डी०भी०डी० में) समर्पित करना अनिवार्य है। फोटो के पीछे संयंत्र के स्थान एवं लाभार्थी का नाम अंकित हो। एक लाभार्थी को संयंत्र के पास खड़ाकर फोटो लिया जाएगा ताकि संयंत्र के साथ लाभार्थी का फोटो भी चित्रित हो तथा दूसरा जलते हुए चूल्हे के साथ होना चाहिए।



सुरेन्द्र प्रसाद  
जिं० का० अभियंता  
ज्ञेडा

6. संस्था को पाँच साल तक संयंत्र की मरम्मत करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रस्टॉम्प पेपर में तत्संबंधी शपथ पत्र संस्था द्वारा ज्रेडा को देना होगा।
7. रख—रखाव की फीस दो किस्त में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त संयंत्र चालू होने के दो साल बाद तथा दूसरा अर्थात् अंतिम किस्त चार साल के बाद देय होगा। रख—रखाव फीस की दोनों किस्तों में भुगतान हेतु लाभार्थी से संयंत्र कार्यरत होने का प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।
8. निर्माणाधीन संयंत्र का निरीक्षण ज्रेडा द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण हेतु पत्र ज्रेडा में समर्पित करना अनिवार्य है।
9. उपयोगिता प्रमाण—पत्र का बुकलेट (binding) के अलावे, निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों के लाभुकों की सूची तथा ग्रामवार, प्रखण्डवार तथा जिलावार सारांश विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।
10. विपत्र के साथ इस संयंत्र अनुदान अन्य किसी एजेन्सी द्वारा नहीं लिया गया है तथा नहीं लिया जाएगा, का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
11. बायोगैस संयंत्र के आउटलेट में ढक्कन लगाना अनिवार्य है।
12. बायोगैस संयंत्र का निर्माण Cluster village में करना अनिवार्य है।
13. 6 (छ:) घनमीटर बायोगैस में लाभुकों को double chulha देना अनिवार्य है।

झारखण्ड राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के पास बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु कुशल बायोगैस तकनीशियन, कुशल राजमिस्त्री, वित्तीय सामर्थ्य होना अनिवार्य है। साथ ही साथ संवेदक को समय—समय पर ज्रेडा कार्यालय को निर्माण किये गये बायोगैस संयंत्रों की जानकारी देनी होगी।

## II. शर्तेः—

- i. निविदा कागजात बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं कॉर्मशियल भाग समर्पित करना अनिवार्य है।
- ii. इच्छा की अभिव्यक्ति शुल्क की राशि (Non-refundable) ₹0 1000/- (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट, निदेशक ज्रेडा के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य है।
- iii. अग्रघन—सह—प्रतिभूति की राशि (Refundable) ₹0 5000/- (पाँच हजार) का बैंक ड्राफ्ट, निदेशक ज्रेडा के पदनाम से इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ समर्पित करना अनिवार्य है। अग्रघन—सह—प्रतिभूति की राशि संबंधित एजेन्सी को दिये गये बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु लक्ष्य के प्राप्ति के उपरान्त वापस किया जाएगा।
- iv. वैसे संस्था /N.G.O/Pvt. Ltd. जो EOI No. 15/JREDA/Biogas/2016-17 में सम्मिलित हुए हैं, को इस EOI में इच्छा की अभिव्यक्ति शुल्क की राशि एवं अग्रघन—सह—प्रतिभूति की

राशि पुनः जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु EOI No. 15/JREDA/Biogas/2016-17 में जमा किए गए इच्छा की अभिव्यक्ति शुल्क की राशि एवं अग्रधन—सह—प्रतिभूति की राशि के बैंक ड्राफट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- v. इच्छुक संस्था / N.G.O/Pvt. Ltd. को अपना पूरा बायोडाटा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- vi. पूर्व कार्य अनुभव:- निविदादाता को बायोगैस संयंत्र निर्माण का अथवा इसी प्रकार के अन्य सिवील निर्माण कार्यों का सरकारी क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक है। इसका प्रमाण हेतु कार्यादेश एवं उसका संतोषजनक कप्लीशन सर्टिफिकेट समर्पित करना है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। संवेदक का आयकर विभाग से पैन कार्ड आवंटन आवश्यक है एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि समर्पित करें।
- vii. भुगतान इस मद् में राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा एवं कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- viii. दिनांक 23.12.2016 के अपराह्न 3.00 बजे तक ज्ञेडा कार्यालय में इच्छा की अभिव्यक्ति कागजात जमा करना अनिवार्य है। दिनांक 23.12.2016 को अपराह्न 3:30 बजे क्रय समिति के समक्ष इच्छा की अभिव्यक्ति खोला जाएगा।
- ix. यह निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। परन्तु अवधि घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
- x. किसी भी समय बिना सूचना के निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

### **III. Expression of Interest जमा करने वालों के लिए निर्देशः—**

#### **लिफाफा—1**

1. भाग—1 (तकनीकी ) के लिफाफा पर तकनीकी बीड़ लिखा एवं सील होना चाहिए।
2. चेक लिस्ट जो कि अनुलग्नक—क में है को भरकर समर्पित करना है।

28.11.2016  
निदेशक  
ज्ञेडा, राँची।

सुरेन्द्र प्रसाद  
विं का० अभियंता  
ज्ञेडा

अनुलग्नक-क

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या (EoI) :39/JREDA/Biogas/2016-17

तकनीकी बिड का चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	हॉ / नहीं	पेज नं०
1	इच्छा की अभिव्यक्ति की राशि ₹० 1000/- (एक हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट।		
2	अग्रधन-सह-प्रतिभूति की राशि ₹० 5000/- (पाँच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट।		
3	स्व अभिप्राणित पैन कार्ड की छायाप्रति।		
4	पूर्व कार्यनुभव का छायाप्रति।		
5	स्व अभिप्राणित संस्था का बायोडाटा की छायाप्रति।		
6	स्व अभिप्राणित वित्तीय सामर्थ्य की छायाप्रति।		
7	संस्था के अन्तर्गत कार्यरत कुशल बायोगैस तकनीशियन एवं कुशल राजमिस्त्री की संख्या।		

इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) देने वाले का हस्ताक्षर

सुरेन्द्र प्रसाद  
विं का० अभियंता  
झेडा